

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2- 901 / ग्यारह-9(81)/91-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(61)-2010
लखनऊ::दिनांक:: 28 जून, 2010

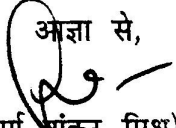
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 29 जून, 2010 से समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2757 / ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(31)-2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात:-

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
3.	प्राकृतिक गैस	माल के मूल्य का पाँच प्रतिशत

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।